

बिरला शिशु विहार पिलानी (राजस्थान)

सूचना

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं 14) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 के नियम 3 (2) के उपबंधों के अनुसार, माता-पिता-अध्यापक संगम बैठक 15/09/2022 को साय: 03.30 बजे विद्यालय परिसर में नियत की गयी है।

भवदीय

सचिव

माता-पिता-अध्यापक संगम

बिरला शिशु विहार पिलानी

दिनांक : 01/09/2022